

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 95/2019

निर्णय दिनांक -31.05.2019

अमरचन्द पिता खेमराज जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. बद्रीलाल पिता धनराज जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. अशोक पिता लाभचन्द जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
3. कन्हैयालाल पिता मथुरालाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
4. भगवानलाल पिता गोपीलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
5. गोपाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कोचवा पटवार हल्का बडावली तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थी की खाता संख्या 316 की आराजी नं0 1/315 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा कोचवा पटवार हल्का बडावली तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थी की खाता संख्या 316 की आराजी नं0 1/315 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी



निम्बाहेड़ा

